

22.07.2024 पत्रावली पेश हुई।

वादी एवं अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। लठ
रुक् कर तीन बार आवाज लगवाई गई,
बाकजुड इसके कोई उपस्थित नहीं। इसके
प्रतीत लोग हैं कि वादी एवं अधिवक्ता वादी
अपने दावे को लेकर गम्भीर नहीं हैं अतः
दावा अदम्य हाजिरी अदम्य पैरवी इती स्तर
पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर
नम्बर से कम की जाकर दाखिल दर्ज़र
ले।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांघार

